न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह (आर०ए०एस०)

वाद सं0 : 130 सन 2019

अनवान :–

1. गिरधारी पुत्र आदुराम जाति मेघवंशी निवासी टीडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 01/08/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 144 के 2 किता की 16.2630हैक्‍ भूमि में 20 हिस्सा भूमि में वादी की 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है। जिसमें वादी का नाम मलु पुत्र आदराम व रोही मौजा खाता संख्या 114/102 की 3.5150हैक्‍ भूमि में से वादी का 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है जिसमें वादी का नाम मदन पुत्र आदूराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के आधार कार्ड , मतदाता पहचान पत्र , राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण– पत्र व सरपंच ग्राम पचांयत टिडियासर के प्रमाण पत्र में वादी का सही एवं वास्तविक नाम गिरधारी पुत्र आदुराम है वादी के पक्ष में आधार कार्ड मतदाता पहचान –पत्र राशन कार्ड मूल निवासी प्रमाण--पत्र की चित्रप्रति व सरपंच ग्राम पंचायत टीडियासर का प्रमाण पत्र पेश किया है।

उक्त दोनो खातों की जमाबन्दीयों में वादी का नाम गलत तौर से आदुराम दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी का राज्य सरकार से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में आदुराम के स्थान पर गिरधारी संशोधन करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को काफी मर्तबा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 कतई इन्कार हो गया। इसलिये वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 114 में नाम दुरूस्त होकर जरिये नामान्तकरण संख्या 601 मदन उर्फ आदूराम दर्ज हो चुका है ग्राम बालासर के खाता में नामान्तकरण में दर्ज प्रविष्टियों के पश्चात हुई लिपिकिय त्रुटी को साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है।

जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 144 के 2 किता की 16.2630हैक्‍ भूमि में 20 हिस्सा भूमि में वादी की 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है। जिसमें वादी का नाम मलु पुत्र आदराम व रोही मौजा खाता संख्या 114/102 की 3.5150हैक्‍ भूमि में से वादी का 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है जिसमें वादी का नाम मदन पुत्र आदूराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के आधार कार्ड , मतदाता पहचान पत्र , राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण-- पत्र व सरपंच ग्राम पचांयत टिडियासर के प्रमाण पत्र में वादी का सही एवं वास्तविक नाम गिरधारी पुत्र

Scanned with CamScanner

आदुराम है वादी के पक्ष में आधार कार्ड मतदाता पहचान –पत्र राशन कार्ड मूल निवासी प्रमाण–पत्र की चित्रप्रति व सरपंच ग्राम पंचायत टीडियासर का प्रमाण पत्र पेश किया है।

उक्त दोनो खातों की जमाबन्दीयों में वादी का नाम गलत तौर से आदुराम दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी का राज्य सरकार से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में आदुराम के स्थान पर गिरधारी संशोधन करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 114 में नाम दुरूस्त होकर जरिये नामान्तकरण संख्या 601 मदन उर्फ आदूराम दर्ज हो चुका है ग्राम बालासर के खाता में नामान्तकरण में दर्ज प्रविष्टियों के पश्चात हुई लिपिकिय त्रुटी को साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 144 के 2 किता की 16.2630हैक्ट भूमि में 20 हिस्सा भूमि में वादी की 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है। जिसमें वादी का नाम मलु पुत्र आदराम व रोही मौजा खाता संख्या 114/102 की 3.5150हैक्ट भूमि में से वादी का 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है जिसमें वादी का नाम मदन पुत्र आदूराम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड , मतदाता पहचान पत्र , राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण– पत्र व सरपंच ग्राम पचांयत टिडियासर के प्रमाण पत्र में वादी का सही एवं वास्तविक नाम गिरधारी पुत्र आदुराम है वादी के पक्ष में आधार कार्ड मतदाता पहचान –पत्र राशन कार्ड मूल निवासी प्रमाण–पत्र की चित्रप्रति व सरपंच ग्राम पंचायत टीडियासर का प्रमाण पत्र वादी का नाम गिरधारी दर्ज है।

पेरोकार राज के अनुसार रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 114 में वादी का नाम मदन के स्थान पर मदन उर्फ गिरधारी संशोधन किया जा चुका है रोही मौजा बालासर में मलु पुत्र आदुराम दर्ज है जिसे साक्ष्यों सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए संशोधन किया जाना उचित अंकित किया है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं पेरोकार राज की अभिशंषा के आधार पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन योग्य है वादी का नाम संशोधन किया जाने से राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 144 के 2 किता की 16.2630हैक्ट भूमि में 20 हिस्सा भूमि में वादी की 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है में वादी का नाम मलु पुत्र आदुराम के स्थान पर मलु उर्फ गिरधारी संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 1/8/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुरेन्द्र सिह पुरोहित (आर.ए.एस)

अनवान :-

1. गिरधारी पुत्र आदुराम जाति मेघवंशी निवासी टीडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 130 सन 2019 निर्णय दिनांक- 01/8/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्र सिह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 144 के 2 किता की 16.2630हैक भूमि में 20 हिस्सा भूमि मे वादी की 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज है में वादी का नाम मलु पुत्र आदुराम के स्थान पर मलु उर्फ गिरधारी संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/8/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner